"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर 2011—आश्विन 6, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्रमांक 7025/डी. 189/21-अ/प्रारु./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-09-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 19 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011

विषय सूची

अध्याय-एक

प्रारंभिक

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. अधिनियम किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं.

अध्याय-दो

बल का गठन एवं संगठन

4. सहायक सशस्त्र पुलिस बल का गठन.
5. बल के सदस्यों के कृत्य एवं कर्त्तव्य.
6. निर्देशन, पर्यवेक्षण इत्यादि.
7. बल के सदस्यों की नियुक्ति.
8. बल के सदस्यों का प्रशिक्षण.
9. पारिश्रमिक, भत्ते इत्यादि.
10. बल से सेवा की समाप्ति, इत्यादि.
11. विद्यमान विशेष पुलिस अधिकारियों के संबंध में प्रावधान.

अध्याय-तीन

विविध

12. राहत एवं पुनर्वास.
13. राज्य पुलिस में आरक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता.
14. सहायक सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों के कार्यों का संरक्षण.
15. नियम बनाने की शक्ति.
16. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.
17. निरसन एवं व्यावृत्तियां.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 19 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011

राज्य में लोक व्यवस्था के संधारण, माओवादी/नक्सली हिंसा, विद्रोह से बचाव, नियंत्रण एवं उनका सामना करने में सुरक्षा बलों की सहायता एवं समर्थन के लिए एक सहायक सशस्त्र पुलिस बल के गठन एवं इससे संबंधित और इसके आनुषंगिक विषयों के विनियमन के लिए उपबंध किए जाने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011 कहलाएगा. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) इसे भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् माह जुलाई, 2011 की पांचवीं तिथि से प्रभावशील हुआ समझा जाएगा.

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संबंधित पुलिस जिले का पुलिस अधीक्षक;

(ख) "परिवार का सदस्य" से अभिप्रेत है, बल के सदस्य की पत्नी, बच्चे एवं माता-पिता;

(ग) "बल" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गठित छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन;

(ङ) "माओवादी/नक्सली हिंसा" से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है, सी.पी.आई. (माओवादी) के सदस्यों द्वारा नियोजित एवं संगठित हिंसा की गतिविधियां, इसके समस्त रूप एवं अग्र संगठन (फ्रंट ऑर्गेनाईजेशन), जिन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है तथा जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 एवं छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) के अधीन प्रतिबंधित किए गए हैं;

(च) "बल के सदस्य" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नियुक्त छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल का सदस्य;

(छ) "स्थायी नि:शक्तता" से अभिप्रेत है, बल के किसी सदस्य की 50 प्रतिशत एवं अधिक की ऐसी नि:शक्तता जो स्थायी प्रकृति की हो एवं नि:शक्तता की श्रेणी में परिवर्तन की संभावना न हो एवं ऐसी उपहति/नि:शक्तता ऐसी हो जो पीड़ित को अपने शेष जीवन काल में सामान्य जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देती हो;

(ज) "पुलिस जिला" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) के अधीन पुलिस जिले के रूप में अधिसूचित क्षेत्र;

(झ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ञ) "छानबीन समिति" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित छानबीन समिति;

(ट) "सुरक्षा बल" से अभिप्रेत है, तथा इसमें सम्मिलित है राज्य पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार का कोई अर्ध सैनिक या सशस्त्र बल;

(ठ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन गठित चयन समिति;

(ड) "संवेदनशील क्षेत्र" से अभिप्रेत है, ऐसे क्षेत्र जिनके नक्सली/माओवादी हिंसा या अन्य किसी हिंसा का लक्ष्य होने की आशंका है;

(ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो कि इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु विशेष तौर पर परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) के अधीन परिभाषित हैं.

अधिनियम किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं.

3. इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे तथा उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे.

अध्याय-दो

बल का गठन एवं संगठन

सहायक सशस्त्र पुलिस बल का गठन.

4. (1) राज्य के लिए एक सहायक सशस्त्र पुलिस बल होगा जिसे छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल के नाम से जाना जाएगा जो लोक व्यवस्था के संधारण एवं माओवादी/नक्सली हिंसा एवं विद्रोह इत्यादि से बचाव, नियंत्रण एवं उनका सामना करने में सुरक्षा बलों की सहायता एवं सहयोग करेगा.

(2) सहायक सशस्त्र पुलिस बल में ऐसी संख्या में व्यक्ति शामिल होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए.

बल के सदस्यों के कृत्य एवं कर्त्तव्य.

5. (1) बल के किसी सदस्य के कृत्य एवं कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे—

(क) सुरक्षा बलों की सहायता एवं सहयोग—

(एक) लोक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में;

(दो) आंतरिक सुरक्षा परिरक्षित करने में;

(तीन) संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करने; एवं

(चार) गुप्त सूचना एकत्र करने में.

(ख) लोक सम्पत्ति की रक्षा करना.

(ग) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा से उत्पन्न स्थितियों में लोगों की सहायता करना;

(घ) राहत कार्यों में शासकीय/लोक अभिकरणों की सहायता करना;

(ङ) लोक प्राधिकारियों को उनके कृत्यों के निर्वहन में सुरक्षा उपलब्ध कराने में सुरक्षा बलों की सहायता करना;

(च) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन एवं ऐसे अन्य दायित्वों का निर्वहन करना जो कि राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपा जाए.

(2) उपरोक्त उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सेवा के सदस्य उपर्युक्त कर्त्तव्यों के निर्वहन में, किसी अभियान के दौरान अग्रणी पंक्ति के स्थानों में तैनात नहीं किए जाएंगे तथा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त वे सदैव सुरक्षा बलों के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे जहां उनके जीवन को कोई आसन्न संकट न हो.

निर्देशन, पर्यवेक्षण इत्यादि.

6. (1) सहायक सशस्त्र पुलिस बल का सामान्य पर्यवेक्षण सभी विषयों के संबंध में राज्य सरकार में निहित होगा.

(2) बल का समग्र प्रशासन एवं निर्देशन राज्य के पुलिस महानिदेशक में निहित होगा.

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों एवं उपरोक्त के अध्यधीन रहते हुए, बल का निर्देशन एवं पर्यवेक्षण, संबंधित पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक में निहित होगा.

बल के सदस्यों की नियुक्ति.

7. (1) किसी पुलिस जिले के लिए सहायक सशस्त्र पुलिस बल की नियुक्ति, इस अधिनियम की धारा 11 एवं निम्नलिखित उप धाराओं में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार चयनित व्यक्तियों के बीच में से जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी.

(2) पुलिस जिले के लिए सहायक सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन संबंधित पुलिस क्षेत्र (रेंज) के प्रभारी महानिरीक्षक द्वारा गठित चयन समिति द्वारा जिले में निवासरत मूल व्यक्तियों के बीच में से किया जाएगा जो स्थानीय क्षेत्र, भूदृश्य (स्थलाकृति) एवं स्थानीय भाषा/बोली के जानकार हों.

(3) चयन समिति में तीन सदस्य समाविष्ट होंगे, जो उप पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से निम्न के नहीं होंगे, जिसमें से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा.

(4) बल में चयन के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा, क्रमशः 18 वर्ष तथा 45 वर्ष होगी.

(5) बल में नियुक्ति हेतु मात्र ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो राज्य पुलिस में पुलिस आरक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु निर्धारित शारीरिक मापदण्ड को पूरा करते हों.

(6) बल में नियुक्ति हेतु मात्र ऐसे व्यक्ति चयनित किए जाएंगे जिन्होंने कक्षा पांचवी स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण की हो:

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन सहायक सशस्त्र पुलिस बल का सदस्य माना गया है तथा वह पूर्वोक्त अर्हता धारण नहीं करता, उसे धारा 8 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी.

(7) ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है या जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाहियां संस्थित हो या ऐसी अन्य निरर्हता से ग्रस्त हो जो कि विहित की जाए, को बल में नियुक्ति के लिए चयनित नहीं किया जाएगा.

(8) बल में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए.

बल के सदस्यों का प्रशिक्षण.

8. (1) सहायक सशस्त्र पुलिस बल के प्रत्येक सदस्य को छः माह से अन्यून अवधि के लिए ऐसा अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(2) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के अलावा, निम्नलिखित का समावेश होगा—

(एक) ऐसे आग्नेयास्त्रों (फायर आर्म्स), जैसे कि विहित किए जाएं, के उपयोग के लिए छः माह का आयुध प्रशिक्षण;

(दो) सामुदायिक पोलिसिंग; (कम्यूनिटी पोलिसिंग)

(तीन) गुप्त सूचनाओं का एकत्रीकरण;

(चार) प्राथमिक सहायता एवं चिकित्सीय देखभाल;

(पांच) मानव अधिकारों का मूलभूत ज्ञान;

(छः) आपराधिक विधि एवं प्रक्रिया का मूलभूत ज्ञान.

(3) यदि किसी सदस्य ने बल में अपनी नियुक्ति के पूर्व विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो ऐसे पूर्व प्रशिक्षण की कालावधि, विहित प्रशिक्षण की कालावधि में समाहित हो जाएगी.

पारिश्रमिक, भत्ते इत्यादि.

9. (1) बल के प्रत्येक सदस्य को निश्चित पारिश्रमिक जैसा राज्य शासन द्वारा विहित किया जावे तथा ऐसा महंगाई भत्ता एवं विशेष नक्सल क्षेत्र भत्ता जो छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल, आरक्षक (जीडी) को ग्राह्य है, देय होगा. अन्य दूसरे भत्ते भी जैसा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर आदेशित किए जाएं, बल के सदस्य को दिए जा सकते हैं.

(2) बल के सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाएं.

बल से सेवा की समाप्ति, इत्यादि.

10. (1) बल का ऐसा कोई सदस्य जो 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह सहायक सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य के रूप में नहीं रह जाएगा.

(2) यदि बल का कोई सदस्य धारा 7 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट कोई निरर्हता रखता हो, या ऐसे कदाचरण का दोषी पाया जाए जैसा कि विहित किया जाए, तो नियुक्ति प्राधिकारी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एवं लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे सदस्य की बल से सेवा समाप्त कर सकेगा.

(3) ऐसा कोई सदस्य जिसकी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बल से सेवा समाप्त की गई हो, ऐसे प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकेगा जैसा कि विहित किया जाए, तथा ऐसा विहित प्राधिकारी साठ दिवस की कालावधि के भीतर व्यथित सदस्य के अभ्यावेदन पर विचार करेगा तथा प्राप्त अभ्यावेदन पर यथोचित आदेश पारित करेगा.

विद्यमान विशेष पुलिस अधिकारियों के संबंध में प्रावधान.

11. (1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की तिथि पर, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति, इस अधिनियम की तिथि से छः माह की कालावधि के लिए छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल

का सदस्य माना जाएगा :

परंतु ऐसे समस्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल में उनके नियोजन को जारी रखने के लिए, एक छानबीन समिति द्वारा छानबीन के अध्यधीन होंगे एवं ऐसे सभी व्यक्ति जो ऐसी छानबीन में उपयुक्त पाए जाएं सेवा में बने रहेंगे तथा इस अधिनियम की तिथि से छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य हो गए माने जाएंगे.

(2) धारा 7 की उप-धारा (3) के प्रावधान, उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु छानबीन समिति के गठन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

(3) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की तिथि पर, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति को बने रहने का अधिकार होगा.

अध्याय-तीन
विविध

12. (क) **मृत्यु/स्थायी नि:शक्तता के प्रकरण में राहत.—** यदि बल का कोई सदस्य, नक्सलियों/माओवादियों से सामना करने में सुरक्षा बलों की सहायता के दौरान मृत या स्थायी रूप से नि:शक्त हो जाता है, तो उसे/उसके परिवार के सदस्यों को निम्नानुसार राहत एवं पुनर्वास प्रदान किया जाएगा— **राहत एवं पुनर्वास.**

(एक) बल के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके जीवित जीवन-साथी अथवा यदि ऐसा जीवन-साथी न हो तो उसके परिवार को अनुग्रह राशि के रूप में ऐसी राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी जो 5 लाख रुपये से कम नहीं होगी;

(दो) बल के किसी सदस्य को स्थायी नि:शक्तता के मामले में अनुग्रह राशि के रूप में ऐसी राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी जो 3 लाख रुपये से कम नहीं होगी.

(ख) **रोजगार, आवास एवं चिकित्सा सुविधा.—**

(एक) बल के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी;

(दो) मृतक के परिवार के सदस्यों को शासन द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट योजना के अंतर्गत जिले में नि:शुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी;

(तीन) बल के किसी सदस्य तथा उसके परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधा/सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी;

(चार) ऐसी अन्य कोई सहायता जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की जाए.

13. बल के सदस्य ऐसे मापदण्डों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य पुलिस में पुलिस कार्यपालक तृतीय श्रेणी सेवा में आरक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए. **राज्य पुलिस में आरक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता.**

14. बल के किसी सदस्य के विरुद्ध उसके ऐसे किसी कार्य के लिए जो उसने सद्भावनापूर्वक किया है या सद्भावनापूर्वक किया जाना आशयित है अथवा इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान की गई किसी चूक के लिए कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी. **सहायक सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों के कार्यों का संरक्षण.**

नियम बनाने की शक्ति.	15.	(1)	राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए तथा इसे प्रभावशील बनाने के लिए नियम बना सकेगी.
		(2)	इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के उपरांत यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.
कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.	16.	(1)	यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जिसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जो कि ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो.
		(2)	उपधारा (1) के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश, इसके पारित किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.
निरसन एवं व्यावृत्तियां.	17.	(1)	छत्तीसगढ़ राज्य के लिये लागू छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.
		(2)	उपधारा (1) के अधीन किया गया निरसन ऐसे निरसित अध्यादेश के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा. निरसित अध्यादेश के प्रावधानों के द्वारा अथवा अंतर्गत किया गया कोई कार्य या कारित या किया गया या कारित समझा गया कोई कार्य, (जिसमें कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, अधिसूचना, आदेश, निर्देश या जारी सूचना, विनियम या निर्मित नियम, सम्मिलित हैं) जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया माना जायेगा और वह तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी कार्य या कार्यवाही द्वारा निरसित न किया जाये.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्रमांक 7025/डी. 189/21-अ/प्रारु./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

THE CHHATTISGARH AUXILIARY ARMED POLICE FORCE ACT, 2011

(No. 19 of 2011)

CONTENTS

CHAPTER-I
Preliminary

Sections

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Act not in derogation of any other law.

CHAPTER-II
Constitution and Organisation of the Force

4. Constitution of the Auxiliary Armed Police Force.
5. Functions and duties of the members of the force.
6. Direction, supervision, etc.
7. Appointment of members of the force.
8. Training of members of the force.
9. Remuneration, allowances, etc.
10. Termination from force, etc.
11. Provisions in respect of existing Special Police Officers.

CHAPTER-III
Miscellaneous

12. Relief and Rehabilitation.
13. Eligibility for appointment to the post of constable in the State Police.
14. Protection for acts of members of the Auxiliary Armed Police Force.
15. Power to make rules.
16. Power to remove difficulties.
17. Repeal and saving.

CHHATTISGARH ACT
(No. 19 of 2011)

THE CHHATTISGARH AUXILIARY ARMED POLICE FORCE ACT, 2011

An Act to provide for the constitution and regulation of an Auxiliary Armed Police Force in the State to aid and assist the security forces in the maintenance of public order, prevention, control and combating maoist/naxal violence, insurgency, etc. and matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER-I
Preliminary

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force Act, 2011.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall be deemed to have come into force with retrospective effect from the fifth day of July, 2011.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "appointing authority" means Superintendent of Police of the concerned Police District;

(b) "family member" means wife, children, and parents of the member of the force;

(c) "force" means the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force constituted under the provisions of this Act;

(d) "Government" means the State Government of Chhattisgarh;

(e) "maoist/naxal violence" means and includes planned and organised acts of violence by members of the CPI (Maoists), all its formations and front organisations, which have been declared a terrorist organisation and banned under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and under the Chhattisgarh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006) ;

(f) "member of the force" means a member of the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force appointed under the provisions of this Act;

(g) "permanent incapacitation" means a disability of 50% and above suffered by a member of the force which is of permanent nature and there are no chances of variation in the degree of disability and the injury/disability renders the victim unfit for normal life for the rest of his life;

(h) "police district" means the territory notified as police district under the Chhattsigarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007);

(i) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(j) "screening committee" means the screening committee constituted under Section 7 of this Act;

(k) "security force" means and includes State Police, Central Reserve Police Force, Border Security Force, Indo Tibetan Border Police, Central Industrial Security Force or any para military or armed force of any State Government or the Government of India;

(l) "selection committee" means selection committee constituted under Section 11 of this Act;

(m) "sensitive areas" means areas that are apprehended to be likely targets of naxal/maoist violence or any other violence;

(n) "State" means State of Chhattisgarh.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined specifically shall have the same meaning as defined under the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007).

3. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force. **Act not in derogation of any other law.**

CHAPTER-II
Constitution and Organisation of the Force

4. (1) There shall be an Auxiliary Armed Police Force for the State to be known as Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force to aid and assist the security forces in the maintenance of public order and preventing, controlling and combating maoist/naxal violence and insurgency, etc. **Constitution of the Auxiliary Armed Police Force.**

(2) The Auxiliary Armed Police Force shall consist of such number of persons as may be determined by the State Government from time to time.

5. (1) The functions and duties of a member of the force shall be the following— **Functions and duties of members of the force.**

(a) to aid and assist security forces in—
   (i) maintaining public peace and order;
   (ii) preserving internal security;
   (iii) patrolling sensitive areas; and
   (iv) gathering intelligence.

(b) to protect public property;

(c) to help people in situations arising out of natural or man-made disasters;

(d) to assist government/public agencies in providing relief measures;

(e) to assist the security forces in providing security to public authorities in discharging their functions;

(f) to perform such other duties and discharge such other responsibilities as may be enjoined upon him by the state government through a notification published in the Official Gazette.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) above, the members of the force, while performing any of the above mentioned duties, shall not be deployed in the front line positions of an operation and shall always work under supervision of the security forces other than in discharge of duties where there is no apprehended danger to their lives.

Direction, supervision, etc.

6. (1) The general superintendence over the Auxiliary Armed Police Force in respect of all matters shall vest in the State Government.

(2) The overall administration and direction of the force shall vest in the Director General of Police.

(3) Subject to the above and to the provisions of this Act, the command and supervision of the force shall vest in the Superintendent of Police of the concerned Police District.

Appointment of members of the force.

7. (1) Appointments to the Auxiliary Armed Police Force for any Police District shall be made by the Superintendent of Police of the District from amongst the persons selected in accordance with the provisions contained in the following sub-sections and section 11 of this Act.

(2) Selection of persons to be appointed as members of the Auxiliary Armed Police Force for a Police District shall be made from amongst persons domiciled in the District, who are conversant with the local area, topography and local language/dialect, by a selection committee to be constituted by the Inspector General in charge of the concerned police range.

(3) The selection committee shall consist of three members, not below the rank of Deputy Superintendent of Police, of which at least one member shall belong to scheduled tribes.

(4) The minimum and the maximum age limit for selection to the force shall be 18 years and 45 years, respectively.

(5) Only such person who meets the physical fitness criteria laid down for appointment as Police Constable of the State Police shall be selected for appointment to the force.

(6) Only such person who has passed class five school certificate examination shall be selected for appointment to the force:

Provided that a person deemed to be a member of the Auxiliary Armed Police Force under sub-section (1) of section 11 and does not possess the aforesaid qualification, shall be imparted specially designed course in elementary education during the training specified under section 8.

(7) No person, who has been convicted for any offence or against whom criminal proceedings have been instituted in any court or possesses such other disqualification as may be prescribed, shall be selected for appointment to the force.

(8) The procedure for selection of persons for appointment to the force shall be such as may be prescribed.

Training of members of the force.

8. (1) Every member of the Auxiliary Armed Police Force shall be imparted such compulsory training for a period not less than six months, as may be prescribed.

(2) The training curriculum shall, among other matters, include—

(i) arms training of six months for the use of such firearms as may be prescribed;

(ii) community policing;

(iii) intelligence gathering;

(iv) first aid and medical care;

(v) basic knowledge of human rights;

(vi) basic knowledge of criminal law and procedure;

(3) If any member has undergone the prescribed training prior to his appointment to the force, the period of such earlier training shall be included in the training period prescribed.

9. (1) Every member of the force shall be paid fixed remuneration as prescribed by the State Government; and such dearness allowance and special naxal area allowance as admissible to the Chhattisgarh Police Executive Force, Constable (GD). Any other allowances may also be paid to the member of the force as ordered by the State Government from time to time. **Remuneration allowances, etc.**

(2) Other conditions of service of members of the force shall be such as may be prescribed.

10. (1) A member of the force who attains age of 55 years shall be ceased to be a member of the Auxiliary Armed Police Force. **Termination from force, etc.**

(2) If a member of the force acquires any disqualification specified in sub-section (7) of section 7, or found guilty of such misconduct as may be prescribed, the appointing authority may, after giving an opportunity of being heard and for the reasons to be recorded in writing, terminate such member from the force.

(3) A member who has been terminated from the froce by the appointing authority, may make representation to such authority as may be prescribed, and such prescribed authority shall consider the representation of the aggrieved member within a period of sixty days and pass appropriate order on the representation made.

11. (1) Notwithstanding anything contained in any judgment, order or decree of any court, every person serving as a Special Police Officer on the date of this Act shall, for a period of six months from the date of this Act, be deemed to be a member of the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force: **Provisions in respect of existing Special Police Officers.**

Provided that all such persons shall be subject to screening by a screening committee for their continued employment to the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force, and all such persons found fit in such screening shall continue in service and deemed to have become members of the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force from the date of this Act.

(2) The provisions of sub-section (3) of section 7 shall apply mutaties-mutandis to the constitution of the screening committee for the purpose of sub-section (1).

(3) Notwithstanding anything contained in any judgment, order or decree of any court, every person serving as a special police officer on the date of this Act, shall have a right to continue.

CHAPTER-III
Miscellaneous

12. (A) **Relief in case of death/permanent incapacitation.**—If any member of the force dies or is permanently incapacitated in the course of assisting security forces in combating against naxals/maoists, then he/his family members shall be provided relief and rehabilitation as under— **Relief and Rehabilitation.**

(i) in case of death of a member of the force the surviving spouse or if there is no surviving spouse then the family shall be entitled to get an amount by way of Ex-gratia which shall not be less than Rs. 5 lakh;

(ii) in case of permanent incapacitation a member of the force shall be entitled to get an amount by way of Ex-gratia which shall not be less than Rs. 3 lakh.

(B) **Employment, Housing and Medical Facility.—**

(i) in case of death of a member of the force any adult member of the family shall be given compassionate appointment as per the instructions issued by the State Government;

(ii) family members of the deceased shall be provided free housing facility in district under the scheme designed for this purpose by the State Government from time to time;

(iii) a member of the force and his family members would be entitled to get medical facility/assistance as admissible to the employees of the State Government;

(iv) any other relief as may be declared by the State Government from time to time.

Eligibility for appointment to the post of constable in the State Police.

13. The members of the force shall be eligible for appointment to the post of constable in class III Police Executive Service in the State Police, subject to the criteria as may be prescribed by the State Government.

Protection for acts of members of the Auxiliary Armed Police Force.

14. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any member of the force for any act which is in good faith done or purported to be done or omitted to be done during the course of performance of his duty under this Act.

Power to make rules.

15. (1) The State Government may, by notification to be published in Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of and to give effect to this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

Power to remove difficulties.

16. (1) If any difficulty arises in giving effect to any provision of this Act, the State Government may pass such order, to be published in the Official Gazette, as may be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order passed under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is passed, be laid before State Legislative Assembly.

Repeal and Saving.

17. (1) The Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force Ordinance, 2011 (No. 3 of 2011) in its application to the State of Chhattisgarh is hereby repealed.

(2) The repeal under sub-section (1) shall not affect the previous operation of this Ordinance so repealed and anything done or action taken or deemed to have been done or taken (including any appointment or delegation made, notification, order, direction or notice issued, regulation or rules made) by or under the provisions of the repealed Ordinance shall, insofar as it is not inconsistent with the provision of this Act, be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act, and shall continue in force unless and until repealed by anything done on any action taken under this Act.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.